



2026:AHC:175468

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत

आवेदन संख्या - 8533 सन् 2026

मोहम्मद रूफी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता

: राम तिवारी

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता

: जी०ए०

न्यायालय कक्ष संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए० जी० ए० को सुना गया तथा अभिलेख का अनुशीलन किया गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से वाद अपराध संख्या 88 सन् 2025, धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 308(4), 351(3), 352 बी० एन० एस०, पुलिस थाना-बेकन गंज, जनपद-कानपुर नगर में इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर उन्मोचित किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं लगभग ढाई माह के विलंब से दर्ज की गई है। आवेदक को सूचक को धमकी देने की भूमिका दी गई है। तथापि, मुख्य विवाद सूचक और सह-अभियुक्त इरशाद आलम के मध्य है। आवेदक को केवल इस तथ्य के कारण आरोपित किया गया है कि वह इरशाद आलम का परिचित है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान ए० जी० ए० ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है; तथापि, किसी अनजाने में हुई त्रुटि के कारण उसका नाम अभियुक्तों के कॉलम में नहीं दर्शाया गया है। प्रत्यक्षदर्शी के कथन से घटनास्थल पर आवेदक की उपस्थिति स्पष्ट रूप से स्थापित होती है। एक सी० सी० टी० वी० फुटेज भी है। विद्वान ए० जी० ए० ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया है कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया है।
6. समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त अनीस अहमद उर्फ अनीस कालिया को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 5439 वर्ष 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का नाम, यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित है, अभियुक्तों के कॉलम में दर्ज नहीं है। प्राथमिक विवाद इरशाद आलम और सूचक के बीच है तथा आवेदक को लेनदेन का लाभार्थी नहीं बताया गया है। उसे एक दलाल बताया गया है। विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा परिशीलन की गई सी.सी.टी.वी. फुटेज को बहुत स्पष्ट नहीं बताया गया है।
7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का मामला बनता है।
8. उपरोक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।
9. आवेदक मोहम्मद रूफी की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपरोक्त वाद अपराध में निम्नलिखित शर्तों के साथ थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और एक समान राशि का प्रतिभू प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर उन्मोचित किया जाएगा:
 - i. आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;
 - ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे भयभीत नहीं करेंगे;

10. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त की गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

19 अगस्त, 2026

प्रशांत डी